राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 12/2024

दीपिका पूनिया

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।
4. अधिशाषी अभियंता, 24वां खंड इंदिरा गांधी नहर परियोजना, फलोदी जिला जोधपुर।
5. सहायक अभियंता, उपखंड–4, पीपीएल इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकमपुर, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.01.2024
आदेश की दिनांक : 18.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.8.2014 के द्वारा विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति कमांक 01/2013 दिनांक 11.9.2013 को प्रसारित विज्ञापन के अन्तर्गत राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम 1967 के नियम संख्या 20 के तहत आदेश दिनांक 30.7.2014 द्वारा चयनित होने पर नियम 26 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियंता (सिविल) डिग्रीधारी के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पर पदस्थापन किया गया। उक्त नियुक्ति आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 2 पर अंकित है एवं उसने दिनांक 21.08.2014 को कार्यग्रहण किया। (अनुलग्नक–2 व 3) अपीलार्थी उक्त पद पर कार्य कर रही थी तब उसने नियमित रूप से एमटेक करने के लिए दिनांक 07.08.2015 को त्याग पत्र दे दिया। अधीक्षण अभियंता, फलोदी ने दिनांक 17.8.2015 को मुख्य अभियंता बीकानेर को अपीलार्थी के त्याग पत्र के संबंध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा। (अनुलग्नक–4 व 5) विभाग द्वारा अपीलार्थी ने जो त्याग पत्र

दिया था उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी विधिक रूप से सेवा में बनी रही क्योंकि जब तक किसी कर्मचारी का त्याग पत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक उसे नियमानुसार सेवा में माना जाता है। अपीलार्थी ने अपना त्याग पत्र सहायक अभियंता, उपखंड–4, पीपीएल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकमपुर, बीकानेर को दिया था और उक्त त्याग पत्र अपीलार्थी ने उचित माध्यम से दिया था। अपीलार्थी ने नियमित रूप से एमटेक विभाग से निवेदन किया था कि उसकी एमटेक किये जाने की अवधि का अवैतनिक अवकाश ले लिया जाए, लेकिन विभाग द्वारा अवैतनिक अवकाश का प्रावधान नहीं होना बताते हुए इसके लिए मना कर दिया तब अपीलार्थी ने त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिया तत्पश्चात पुनः परिवारजन की समझाईश व बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर अपीलार्थी ने दिनांक 31.8.2016 को उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना त्याग पत्र वापिस लेते हुए ज्वाईनिंग रिपोर्ट पेश की। लेकिन कार्यालय द्वारा आश्वासन दिया गया कि मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर से दिशा–निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी। तत्पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 5.9.2016 को एक प्रार्थना पत्र मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर को दिया जिसमें अपना त्याग पत्र वापिस लेने के संबंध में अंकन किया गया लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उक्त दिनांक तक अपीलार्थी का दिनांक 07.08.2015 को दिये गये त्याग पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी अर्थात उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार नहीं किया गया था। अपीलार्थी ने पुनः प्रार्थना पत्र दिनांक 19.9.2016 को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिया और पुनः ज्वाईनिंग करने के संबंध में अंकन किया। साथ ही यह भी अंकन किया कि अपीलार्थी के समान ही श्री गजेन्द्र चितारा, कनिष्ठ अभिंयता जो जैसलमेर में पदस्थापित थे उन्हें भी लम्बी अवधि तक अनुपस्थित रहने के पश्चात पुनः कार्यग्रहण करवाया गया था। (अनुलग्नक–6) अधिशाषी अभियंता, 24वां खण्ड इंदिरा गांधी नहर परियोजना, फलोदी (जोधपुर) ने भी अधीक्षण अभियंता फलोदी निर्माण एवं रखरखाव वृत, इगानप, फलोदी को एक पत्र दिनांक 20.9.2016 को लिखते हुए अनुशंषा की कि अपीलार्थी की अनुपस्थिति अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकार कर कार्यग्रहण कराया जाता है तो कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता की कमी की पूर्ति हो जाएगी। (अनुलग्नक–7) उक्त पत्र के पश्चात भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और अधीक्षण अभियंता (प्रशासन) कार्यालय मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर ने ऐसी ही अभिशंषा कर मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 17.10.2016 को पत्र लिखा लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र पर कोई निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा आदेश दिनांक

3.11.2017 के द्वारा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.08.2015 को दिये गये त्याग पत्र को राजस्थान सेवा नियम 22 के तहत दिनांक 7.8.2015 से स्वीकार कर लिया। अपीलार्थी का त्याग पत्र आदेश दिनांक 3.11.2017 (अनुलग्नक–8) के द्वारा मंजूर किया गया है वह अनुचित, अवैद्य एवं विधि विरूद्ध होने से विधि की दृष्टि से शून्य है क्योंकि अपीलार्थी ने अपना त्यांग पत्र जो दिनांक 07.08.2015 को दिया था उसे दिनांक 31.8.2016 को वापिस लेते हुए अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत कर दी ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का त्याग पत्र वापिस ले लेने व कार्यग्रहण के पश्चात दिनांक 3.11.2017 के आदेश द्वारा त्याग पत्र स्वीकार किया गया है व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 01.12.2023 को एक विधिक नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से भिजवाया लेकिन उस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। (अनुलग्नक ए–1)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में आदेश दिनांक 3.11.2017 (अनुलग्नक ए–8) को वापिस लिया जावे और अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यग्रहण कराया जावे एवं अपीलार्थी को समस्त परिणामिक लाभ दिये जाय जो वह सेवा में रहते हुए प्राप्त करती।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सुश्री दीपिका पूनिया तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता द्वारा दिनांक 07.08.2015 (अनुलग्नक आर –1) को राजकीय सेवा से त्यागपत्र दिया था, जिसे नियमानुसार आदेश क्रमांक 5744, दिनांक 03.11.2017 द्वारा स्वीकृत कर आदेश जारी किये गये है। मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ2 (त्यागपत्र)/स्था–2/मु.अ.ज.स/17/5744 दिनांक 03.11.2017 को सुश्री दीपिका पुनिया का त्यागपत्र दिनांक 07.08.2015 से स्वीकार किया गया। (अनुलग्नक आर–2) एक बार त्याग पत्र सक्षम स्तर से स्वीकृत होने के पश्चात उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। अपील 5 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अपने पदस्थापन के सम्बन्ध में विभाग के समक्ष अधिकारी को अभ्यावेदन देना चाहिए था क्योंकि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा 4 (अ) के अन्तर्गत अभ्यावेदन के निस्तारण के उपरान्त ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी अपील प्रस्तुत कर सकता है परन्तु अपीलार्थी ने उपरोक्त प्रावधान की पालना किये बिना ही, सीधे ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है। जबकि माननीय अधिकरण के निर्णय डा० सुभाष – खोलिया बनाम राज्य सरकार व अन्य में स्पष्ट कर दिया है कि अपीलार्थी को अपील पेश करने से पूर्व विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देना

चाहिए इसके उपरान्त ही अधिकरण के समक्ष अपील पेश सकता है। दीपिका पुनिया द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 07.08.2015 मुख्य अभियन्ता, इगानप, बीकानेर के पत्र दिनांक 03.09.2015 के माध्यम से प्राप्त होने पर विड्रो स्वीकार नहीं किया जा कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त आदेश दिनांक 03.11.2017 के द्वारा उनका त्याग पत्र स्वीकार किया जा चुका है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं पत्रावली पर उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

बहस में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा त्याग पत्र दिनांक 03.11.2017 को स्वीकार करने से पहले अपीलार्थी द्वारा त्याग पत्र वापिस लेने कारण आदेश दिनांक 03.11.2017 नियम विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने इस संबंध में माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर द्वारा गुलाब सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (WLC 2003 (1)) पेज 100 में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2002 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. Of 2004 Arising --- Of SLP (c) No. 15788 Of 2021 एस.डी. मनोहर बनाम कोंकण रेल्वे कॉरपोरेशन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2024 की तरफ अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया। यह भी निवेदन किया कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 22 में यह प्रावधान है कि त्याग पत्र प्रभावी होने से पहले उसे वापिस लिया जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से निवेदन किया कि त्याग पत्र स्वीकार होने के पश्चात उसे वापिस नहीं लिया जा सकता है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.08.2014 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद नियमों में विहित निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत चयन होने पर हुई थी। अपीलार्थी ने एम.टेक योग्यता प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को अवैतनिक अवकाश दिये जाने से मना करने पर उक्त सेवा से दिनांक 07.08.2015 को त्याग पत्र दे दिया था, परंतु अपीलार्थी ने दिनांक 31.08.2016 को उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना त्याग पत्र वापिस लेते हुये ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की। परंतु विभाग द्वारा त्याग पत्र वापिस लेने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर संबंध में अपीलार्थी ने पुनः दिनांक 19.09.2016 को कार्यग्रहण करने हेतु मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रार्थना पत्र दिया। अधिशाषी अभियंता, फलौदी ने अधीक्षण अभियंता, फलौदी को दिनांक 20.09.2016 को पत्र लिखते हुए अनुशंषा की कि अपीलार्थी को अनुपस्थित अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकार कर कार्यग्रहण करवाया जाता है तो कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता की कमी की पूर्ति हो जायेगी। परंतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं

की गई और विभाग द्वारा दो वर्ष से ज्यादा अवधि के पश्चात आदेश दिनांक 03.11.2017 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 22 के तहत अपीलार्थी के त्याग पत्र दिनांक 07.08.2015 की तिथी से स्वीकार किया गया।

त्याग पत्र स्वीकृत आदेश दिनांक 03.11.2017 से स्पष्ट है कि त्याग पत्र राजस्थान सेवा नियम के नियम 22 के तहत स्वीकार किया गया है विचारणीय बिंदू यह है कि त्याग पत्र देने के पश्चात इसे वापिस लिया जा सकता है अथवा नहीं ? एवं कब तक इसको वापिस लिया जा सकता है। इसके संबंध में नियम 22 के संबंध में राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या 1(घ) में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

''(घ) **त्याग–पत्र वापिस लेने की अनुमति देने हेतु सक्षम अधिकारी :** सेवा से पद–त्याग उस समय से प्रभावी माना जायेगा जब से राज्य कर्मचारी को उसके पद के कार्यभार से मुक्त किया जाता है। राज्य कर्मचारी द्वारा उसके कार्यभार मुक्ति एवं पद–त्याग के बाद यदि सेवा में पुनः लेने की प्रार्थना की जाती है, तो उस पर विचार नहीं किया जाकर, स्वीकृत नहीं किया जायेगा।''

इस प्रकरण में अपीलार्थी ने त्याग पत्र स्वीकृति से पहले ही त्याग पत्र वापिस लेने का अनुरोध कर दिया था। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा त्याग पत्र वापिस लेने के आवेदन कार्यभार मुक्ति से पहले प्रस्तुत कर दिया था परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया एवं इसे नजर अदांज कर अपीलार्थी का त्याग पत्र स्वीकार किया गया जो नियम 22 राजस्थान सेवा नियम के संबंध में राजस्थान सरकार के निर्णय के प्रतिकूल है। प्रत्यर्थी विभाग से यह अपेक्षित था कि अपीलार्थी द्वारा उसके त्याग पत्र वापस लेने के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर विचार किया जाता। अपीलार्थी को उसका त्याग पत्र स्वीकार/प्रभावी होने से पहले नियमानुसार किसी भी समय वापिस लेने का विधिक अधिकार प्राप्त है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम गोपाल चन्द मिश्रा (AIR 1978 SC 694) में त्याग पत्र हेतु आवेदन करने एवं वापिस लेने के संबंध में विधिक स्थिति हेतु निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः–

"The general principle regarding resignation is that in the absence of a legal, contractual or constitutional bar, a "prospective" resignation can be withdrawn at any time before it becomes effective when it operates to terminate the employment or the office-tenure of the resignor. This general rule is equally applicable to Government servants and constitutional functionaries. In the case of a Government servant/or functionary who cannot, under the conditions of his service/or office, by his own unilateral act of tendering resignation, give up his service/or office, normally, the tender of resignation becomes effective and his service/or office&tenure terminated, when it is accepted by the competent authority"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शंभू मुरारी सिन्हा बनाम प्रोजेक्ट एंड डवलपमेंट इंडिया लि. (2002 AIR SCW 1165) में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि Prospective resignation को उसके प्रभावी होने से पहले कभी भी प्रत्याहरित किया जा सकता है। यह प्रभावी उस तिथी से होता है जिस तिथी को ऐसा आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Union of India and Ars v. Wing Commander T. Parthsarathy (2001) 1 SSC 158 में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः–

"6. We have carefully considered the submissions of the learned counsel appearing on either side. The reliance placed for the appellants on the decision reported in Raj Kumars case (Supra) is inappropriate to the facts of this case. In that case this Court merely emphasised the position that when a public servant has Invited by his letter of resignation determination of his employment his service clearly stands terminated from the date on which the letter of resignation is accepted by the appropriate Authority and in the absence of any law or rule governing the condition of the service to the contrary, it will not be open to the public servant to withdraw his resignation after it is accepted by the appropriate Authority and that till the resignation is accepted by the appropriate Authority in consonance with the rules governing the acceptance, the public servant concerned had Locus Penitentiae but not thereafter. This judgment was the subject matter of consideration alongside the other relevant case law on the subject by a Constitution Bench of this Court in the decision reported in Union of India Etc. vs Gopal Chandra Misra and Others (AIR 1978 SC 694). A request for pre- mature retirement which required the acceptance of the competent or appropriate Authority will not be complete till accepted by such competent Authority and the request could definitely be withdrawn before it became so complete. It is all the more so in a case where the request for pre-mature retirement was made to take effect from a future date as in this case. The majority of the Constitution Bench analysed and declared the position of law to be as hereunde:"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.डी.मनोहर बनाम कोंकण रेल्वे कॉरपोरेशन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2024 में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः–

"3.The short facts necessary for resolution of this dispute revolve around the invariable question that arises in disputes involving withdrawal of the resignation letter[1], i-e- whether the employee has withdrawn his resignation before its acceptance by the employer or not. Having examined the matter in detail, we have arrived at the conclusion that resignation was in fact withdrawn before its acceptance. We have thus allowed the appeal and directed reinstatement of the appellant. Further, to balance equities, we ordered the salary payable for the period

that the appellant has not worked to be restricted to 50% of the salary payable for the said period."

इस प्रकरण में जारी त्याग पत्र स्वीकृति आदेश को भूतलक्षी तिथी से प्रभावी किया गया है। अर्थात जारी स्वीकृति आदेश दिनांक 03.11.2017 में त्याग पत्र दिनांक 07.08.2015 से प्रभावी माना है। जबकि त्याग पत्र या तो तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जा सकता है या किसी पश्चातवर्ती दिनांक से प्रभावी हो सकता है। अतः भूतलक्षी तिथी से त्याग पत्र स्वीकार करना सेवा नियम के नियम 22 के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा लिए निर्णयों के विपरीत है। इस संबंध में राजस्थान सेवा नियम के नियम 22 के संबंध में राजस्थान सरकार का निर्णय 1 (ग) निम्नानुसार हैः–

''(ग) **दिनांक जब से त्याग–पत्र प्रभावी हो जाता है** सक्षम प्राधिकारी को यह निर्णय लेना चाहिये कि त्याग–पत्र किस दिनांक से प्रभावी होगा। उक्त (ख) (I) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में दिनांक वह होगी जिस दिन पद भरने हेतु अन्य व्यवस्था हो जाती है। जब कर्मचारी अवकाश पर हो तो सक्षम अधिकारी को यह निर्णय लेना चाहिये कि वह त्याग–पत्र तुरन्त प्रभाव से स्वीकार करना है अथवा अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद से। जब सरकारी कर्मचारी त्याग–पत्र देना चाहता है और उसके लिए नोटिस जिसकी अवधि निर्धारित हो, देता है तो सक्षम प्राधिकारी अवकाश अवधि को नोटिस अवधि के प्रति गणना हेतु निर्णय ले सकता है। अन्य मामलों में सक्षम अधिकारी को यह पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वह यह निर्णय ले ले कि त्याग–पत्र तुरन्त प्रभावी होगा अथवा किसी अन्य भावी दिनांक से। पश्चात्वर्ती मामले में दिनांक का उल्लेख किया जाना चाहिए।''

साथ ही त्याग पत्र स्वीकार करने हेतु नियम 22 में निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना का अभाव पाया जाता है। अपीलार्थी ने अपील में समान प्रकृति के प्रकरण श्री गजेन्द्र चितारा क. अभियंता को पुनः सेवा में कार्यग्रहण कराने का अकंन अपील के पैरा सं. 6 में किया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया। स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा समान प्रकृति के प्रकरणों में दोहरे मानदण्ड अपनाये गये है।

इस प्रकार नियम 22 के संबंध में राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसार त्याग पत्र को राज्य कर्मचारी के पद से कार्यभार मुक्ति एवं पद त्याग से पूर्व ऐसा आवेदन वापिस लिया जा सकता है। राज्य कर्मचारी द्वारा सेवानिवृति आवेदन को वापस लेने का आवेदन करने के उपरान्त भी ऐसे आवेदन को नजर अदांज कर सेवानिवृति हेतु जारी आदेशों को विभिन्न न्याय निर्णयों में नियम विरूद्ध मान कर अपास्त किया है।

हमारा यह विनम्र मत है कि उक्त वर्णित न्याय निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सेवा से त्याग पत्र (resignation) देने पर त्याग

पत्र स्वीकृत होने एवं सेवानिवृति आदेश प्रभावी होने से पहले उसे कभी भी वापिस लिया जा सकता है। यह प्रभावी उस तिथी से होता है जबकि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जा सकता है। नियम 22 राजस्थान सेवा नियम के संबंध में राजस्थान सरकार के निर्णय के तहत राज्य कर्मचारी को विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह अपने त्याग पत्र को स्वीकृत होने से पहले प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी के द्वारा उसके सेवानिवृति आवेदन (त्याग पत्र) को सक्षम स्तर पर स्वीकृत करने से पूर्व ही प्रत्याहरित करने का निवेदन कर दिया था जिसे नजर अदांज कर उसके सेवानिवृति आवेदन को स्वीकार किया गया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विभिन्न न्याय निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत एवं राजस्थान सेवा नियम के नियम 22 में प्रदत विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से आलौच्य आदेश दिनांक 03.11.2017 अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 03.11.2017 को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः कनिष्ठ अभियंता के पद पर राज्य सेवा में बहाल कर कार्यग्रहण कराया जावे। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को आदेशति किया जाता है कि अपीलार्थी को त्याग पत्र वापिस लेने की तिथी से समस्त पारिणामिक सेवा परिलाभ नियमानुसार प्रदान किए जावे। उक्त निर्देशों की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य